संख्या- 05 /152 / चार-2015-31 (ते0वि0आ0)/12

प्रेषक,

राम विशाल मिश्र
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 14 जनवरी, 2015

विषय:- तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत पं0 बिरजू महाराज के कालका बिन्दादीन डयोढी के संरक्षण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 15/चार-2013-31(ते0वि0आ0)/12, दिनांक 03 जनवरी,2013 एवं शासनादेश संख्या- 748/चार-2014-31(ते0वि0आ0)/12, दिनांक 31 मार्च,2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पं0 बिरजू महाराज के कालका बिन्दादीन डयोढी के संरक्षण हेतु कार्यदायी संस्था - उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन धनराशि रू0 100.00 लाख का परीक्षण करते हुए धनराशि रू0 96.53 लाख मूल्यांकित/अनुमोदित की गयी है, (मूल्यांकित /अनुमोदित आगणन की छायाप्रति संलग्न) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए श्री राज्यपाल महोदय प्रस्तावित कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए प्रथम चरण में धनराशि रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने हेतु निम्नांकित शर्तो के अधीन वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उक्त कार्य को करने के लिए कार्यदायी संस्था उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को नामित किया गया है तथा कार्यदायी संस्था पुरातत्व (ए0एस0आई0) के निम्न मानकों के अनुरूप यह कार्य करायेगी:-

1- मौलिक स्वरूप को अक्षुण्य रहना चाहिए।

2- ऐसा कोई भी कार्य या नव निर्माण नहीं किया जाय, जिससे भवन की प्राचीनता एवं ऐतिहासिकता तथा वास्तुशैली पर प्रतिकूल प्रभाव पडता हो।

3- भवन की मरम्मत में वही निर्माण सामग्री प्रयोग किया जाय जिस प्रकार की निर्माण सामग्री भवन का निर्माण करते समय प्रयोग किया गया था।

कार्यदायी संस्था द्वारा इस कार्य के लिए तकनीकी सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। यदि डयोढी को नवीन रूप देना है तो कार्यदायी संस्था पुराने नक्शे /डिजाइन के अनुसार ही यह कार्य करायेगी। डयोढी का पारम्परिक स्वरूप यथावत रखा जायेगा।

कार्यदायी संस्था द्वारा इसके संरक्षण व संवर्धन का कार्य राष्ट्रीय कथक संस्थान के पर्यवेक्षण में किया जाएगा। भविष्य में इसके संचालन व देख-रेख की व्यवस्था राज्य सरकार के अधीन राष्ट्रीय कथक संस्थान, लखनऊ के अन्तर्गत किया जायेगा।

(2) पूर्व स्वीकृति धनराशि कोषागार से आहरित नहीं की गयी है, का प्रमाण पत्र कोषागार से प्राप्त कर लिया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(4) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की प्रायोजना की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(5) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो का निर्माण कार्य, उसी कार्यदायी संस्था /इकाई/खण्ड द्वारा सम्पादित कराया जायेगा , जिस कार्यदायी संस्था /इकाई/खण्ड द्वारा प्रस्ताव /आगणन द्वारा गठित है। यदि कार्यदायी संस्था का परिवर्तन अपरिहार्य हो तो उसी कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना प्रस्ताव का गठन कराकर सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किए जाय।

(6) प्रायोजना के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो की भी माहवार फेजिंग करते हुए निर्माण कार्य कराये जाए एवं समयान्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण कराये जायेंगे।

(7) उक्त स्वीकृति धनराशि भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं शर्तो के अन्तर्गत व्यय की जायेगी।

(8) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई,2014 में दिये गये दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन तथा इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त स्वीकृति धनराशि को राजकोष से आहरित कर वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को उक्त निर्माण कार्य हेतु आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा, जो संलग्न आगणन के अनुसार नियमानुसार प्रश्नगत कार्य की अनुमोदित मात्राओं हेतु व्यय करेंगे।

3- उपर्युक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि कोई भी व्यय तब तक न किये जायेगा जब तक कि स्वीकृत आगणन के अन्तर्गत विस्तृत आगणनों को बनाकर उस पर सक्षम तकनीकी अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति न प्राप्त कर ली जाय। उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य की अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति /द्विरावृत्ति न हो, इसे निदेशक, संस्कृति निदेशालय अपने स्तर से सुनिश्चित करेगें। निर्माण हेतु प्रस्तावित कार्यो को निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निर्देशन व उनके परामर्श से सम्पादित किये जायेंगे।

4- उक्त परियोजना हेतु अनुमोदित आगणन के अतिरिक्त पुनरीक्षित आगणन स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा उक्त कार्य समयबद्व सारणी बनाकर समाप्त किया जायेगा। स्वीकृत कार्य की वित्तीय

http://shasanadesh.up.nic.in

/भौतिक प्रगति प्रत्येक माह तथा कार्य समाप्ति के पश्चात प्रायोजना से संबंधित कार्य के सम्परीक्षित लेखे निदेशक, संस्कृति निदेशालय के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

5- परियोजना के कार्यो के डाइंग , डिजाइन तथा मानचित्र आदि सक्षम स्तर से अनुमोदित कराकर ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। इस निमित्त जिस किसी प्राधिकारी /संस्था आदि की स्वीकृति /अनुमति की आवश्यकता होगी, प्राप्त कर ली जायेगी। प्रायोजना पर व्यय स्वीकृत आगणन की सीमा तक ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में किसी दशा में अधिक व्यय नहीं किया जायेगा। यदि कार्य निष्पादन के उपरान्त स्वीकृत धनराशि में से कोई धनराशि बच जाती है तो उसे राजकोष में जमा किया जायेगा।

6- निदेशक, संस्कृति निदेशालय द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों /मानकों के अनुरूप सम्पादित किया जाय।

7- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या- 92 के लेखाशीर्षक- 4202-शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत- 04-कला तथा संस्कृति- 106-संग्रहालय-04- तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों का क्रियान्वयन- 0401-ऐतिहासिक स्मारको, पुरातत्वीय स्थलों , संग्रहालयों के प्रतिरक्षण एवं संरक्षण तथा प्रमुख विरासत स्थलों को जोडने वाली सडको का सुदृढीकरण-24 ब्रहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या- ई-7-24 /दस-2015 दिनांक 12 जनवरी,2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

<u>संलग्नक-यथोक्त</u>

भवदीय,

(राम विशाल मिश्र)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या - 05 / 152 (1)/चार-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।

3-निदेशक, ग्लोबल कान्स्ट्क्शन एण्ड कन्सलटेन्सी सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलेक्स इन्दिरा नगर, लखनऊ

4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- अधिशासी अभियन्ता एवं नोडल अधिकारी, ग्लोबल कान्स्ट्क्शन एण्ड कन्सलटेन्सी सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलेक्स इन्दिरा नगर, लखनऊ

6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(मणीन्द्र शर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in